परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा वर्ष 2017

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांकः 09 /भण्डार/2017 भोपाल, दिनांकः 9-3-2017

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा वर्ष 2017

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र,शर्ते,विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेब साईट https://www.mpeproc.gov.in पर लाग–आन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5000–00(रू. पांच हजार मात्र) तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 4,00,000–00(रू. चार लाख मात्र) हैं। इन्हे आन–लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना हैं ।

निविदा का प्रतिवर्ष कुल मूल्य लगभग रूपये 2,00,00,000–00(रू. दो करोड़ मात्र) हैं। निविदा में अथवा निविदा खोलने की तिथियों में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	16-3-2017	12-30
02	निविदा फार्म डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	06-4-2017	15-00
03	निविदा फार्म आन लाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06-4-2017	17-00
04	निविदा खोलने की तिथि (निविदा फार्म तथा सुरक्षा निधि राशि लिफाफा–ए)	07-4-2017	15-30
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	07-4-2017	16-00
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	17-4-2017	15-30

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब–साईट www.bubhopal.nic.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा (वर्ष–2017)

भाग – 1
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1.1 सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने / प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले एवं विश्वविद्यालय परिसर में सम्पूर्ण कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य के संबंध में समस्त जानकारी स्पष्ट प्राप्त कर ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय मे विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1.2 **कार्य का परिचय** :– बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद मार्ग (एन.एच.–12) पर स्थित हैं। परिसर के क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ हैं। इस परिसर में प्रशासनिक भवन, विभिन्न शैक्षणिक भवन, छात्रावास, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास गृह, अतिथि गृह, ज्ञान विज्ञान भवन, खेल परिसर, केन्द्रीय पुस्तकालय एवं अन्य भवन आदि हैं । विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा हेतु कम से 3 सुपरवाईजर, 90 सुरक्षा कर्मियों (तीन पारियों हेतु कुल संभावित संख्या) की सेवाओं के लिए ई– निविदा आमंत्रित की जा रही हैं।

1.3 निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://mpeproc.gov.in से डाउनलोड करे। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेब साइट www.bubhopal.nic.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

1.4 परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई–निविदा को वेब–साईट https://mpeproc.gov.in पर आन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना हैं। निविदा में अथवा निविदा खोलने की तिथि में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी। निविदा का प्रतिवर्ष अनुमानित मूल्य रू. 2,00,00,000=00(रू. दो करोड़ मात्र) हैं।

1.5 निविदा आन–लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:–

सं.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	16–03–2017	12–30
02	निविदा फार्म डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	06–04–2017	15–00
03	निविदा फार्म आन लाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	06–04–2017	17–00
04	निविदा खोलने की तिथि (निविदा फार्म तथा सुरक्षा निधि राशि लिफाफा–ए)	07–04–2017	15–30
05	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	07–04–2017	16–00
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	17–04–2017	15–30

1.6 यदि निविदा खुलने की तिथि पर किन्ही अपरिहार्य कारणों से निविदा खोली नही जा सकी तो निविदाएं आगामी कार्यदिवस पर दोपहर 3–30 पर खोली जाएगी।

निविदा की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

1.7 **चरण–1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रूपये पाँच हजार मात्र) हैं तथा सुरक्षा निधि रूपये 4,00,000=00 (रूपये चार लाख मात्र) हैं। इन्हे आन–लाईन निविदा के साथ जमा किया जाना हैं। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना हैं। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सुरक्षानिधि राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को चरण–2 (तकनीकी निविदा) के लिए योग्य माना जायेगा।

1.8 **चरण–2:** उपरोक्त चरण–1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा के भाग–2 में दर्शित प्रपत्र / दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने हैं। उपरोक्त प्रक्रिया में योग्य पाये जानेवाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

1.9 **चरण–3** : (तत्पश्चात उपरोक्त चरण 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।) वित्तीय निविदा को भी आन–लाईन ही प्रस्तुत किया जाना है।

भाग – 2
निविदा की अर्हकारी शर्तें

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्तें निम्नांकित है जिनके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा:–

2.1 वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। नाम, पदनाम एवं वेतन का विवरण **प्रपत्र–1** में देवें।

2.2 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–2** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.3 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–3** अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.4 श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.5 सुरक्षा ऐजेन्सी के पास प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.6 कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.7 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.8 सर्विस टैक्स खाता क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

2.9 आयकर नम्बर (PAN)की प्रति संलग्न करें।

2.10 फर्म का इनकम टैक्स के पिछले पांच असेसमेन्ट वर्ष 2016–17, 2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)की छाया प्रति संलग्न करें।

2.11 म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल अधिनियम 1982 में अंशदान अदायगी प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14 की छाया प्रति संलग्न करें।

2.12 निविदा जारी होने की तिथि से पूर्व तिथि की 25 लाख की बैंक सालवेन्सी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

2.13 न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.14 न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटोत्री का प्रमाण पत्र विगत छः माह की छाया प्रति संलग्न करें।

2.15 न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स जमा करने का प्रमाण पत्र विगत छः माह का की छाया प्रति संलग्न करें।

2.16 न्यूनतम 150 श्रमिकों से कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की छाया प्रति संलग्न करें।

2.17 सुरक्षा ऐजेन्सी को सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो का अनुभव होना चाहिए। पिछले पांच वित्त वर्षो (2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2011–12) का सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। **प्रपत्र–4** अनुसार ।

2.18 विगत 5 वित्त वर्षो में (2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2011–12) में से किन्ही 2 वित्त वर्ष में टर्न ओव्हर केवल सुरक्षा कार्य का रू. 2–00 करोड का चार्टेड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न **प्रपत्र–5** में तथा **अंकेक्षित लेखे चार्टेड एकाउन्टेन्स** से सत्यापित संलग्न करें।

स्पष्टीकरणः– सिर्फ सुरक्षा कार्य का टर्न ओवर ही संलग्न करें। सफाई कर्मियों एवं अन्य कार्यों से सबंधित राशि जोड़ने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

2.19 विगत 5 वर्षो में किसी एक वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ आदि में कम से कम 150 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य है।

2.20 सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। शपथ पत्र संलग्न करें।

2.21 सुरक्षा फर्म / संस्था / कम्पनी / ऐजेन्सी द्वारा समय–समय पर कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों के अनुसार ही गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजरों (कुशल श्रेणी) अनुसार भुगतान किया जावेगा।

किसी भी स्थिति में सुरक्षा कर्मियों का कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान नहीं किया जावेगा।

सुरक्षा फर्म / संस्था / कम्पनी / ऐजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र में मात्र उनके द्वारा मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सर्विस चार्ज कर रहित होना चाहिए। विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार तत्समय लागू कलेक्टर दर ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी., बोनस, वीकली रेस्ट का भुगतान एवं अन्य वैधानिक परिलब्धियां जो नियमानुसार देय /बन्धनकारी हैं। उसका भुगतान किया जावेगा।

निविदाकर्ता द्वारा शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी। सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर का सर्विस चार्ज की दर एक ही होना चाहिए।

कलेक्टर द्वारा जारी किए आदेश पत्र की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं शासन की वेबसाईट पर निविदा प्रपत्र के साथ दी गई हैं। चूंकि उपरोक्त कलेक्टर दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें शासन द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होंगी इस हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तदनुसार भुगतान करने बाध्य होगा।

2.22 निविदाकर्ता फर्म को **प्रपत्र–6** के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.23 निविदाकर्ता को वित्तीय बिड **प्रपत्र–7** में सिर्फ सर्विस चार्ज अंकित करना होगा। उन्हें ई.एस.आई., ई.पी.एफ. वीकली रेस्ट आदि को सम्मिलित करते हुए तत्समय प्रभावशील दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा। शून्य सेवा शुल्क अमान्य किया जायेगा।

2.24 वित्तीय निविदा **प्रपत्र–7** में निविदाकार के द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जायेगा। अतः निविदाकार द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा शुल्क में बायोमैट्रिक मशीन का व्यय एवं उसके अन्य प्रशासकीय, प्रबंधकीय व्यय इत्यादि भी सम्मिलित रहेंगे। इस बावत पृथक से कोई राशि देय नही होगी।

2.25 निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की गई दरों में समस्त प्रकार के कर पृथक से दर्शित होना चाहिये। सम्मिलित करों की कटोत्री के बाद भी मासिक सेवा शुल्क की राशि रूपयें के गुणांक में होना आवश्यक हैं।

2.26 पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

2.37 संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन कराया जा सकेगा दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।

2.28 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रू0 100=00 (रू. एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधियत प्रस्तुत किया जाय। इसके अभाव में निविदा मान्य नही की जावेगी।

2.29 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। **किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा**। संलग्न दस्तावेजों की सूची तथा पृष्ठ संख्या अंकित करें।

2.30 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र तथा निविदा की शर्तों के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रू. पांच हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं हैं।

फर्म को निम्नांकित दस्तावेज स्केन कर ई–निविदा के साथ अपलोड करना है।

सं.क्र.	दस्तावेज का नाम जिसे निविदा के साथ अपलोड करना है तथा प्रत्येक दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील लगी होना चाहिए
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 5,000=00 (रूपये पाँच हजार मात्र) आन लाईन जमा की गई राशि ।
2	सुरक्षा निधि रूपये 4,00,000=00 (रूपये चार लाख मात्र) आन लाईन जमा की गई राशि की रसीद ।
3	वर्तमान में सुरक्षा ऐजेन्सी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। नाम, पदनाम एवं वेतन का विवरण बिन्दु 2.1 के प्रपत्र–1 अनुसार।
4	**प्रपत्र–2** अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र ।
5	**प्रपत्र–3** अनुसार शपथ पत्र ।
6	श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)
7	प्रायवेट सिक्युरिटी ऐजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)
8	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)
9	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)
10	सर्विस टैक्स खाता क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)
11	आयकर नम्बर (PAN) की प्रति ।
12	फर्म का इनकम टैक्स के पिछले पांच असेसमेन्ट वर्ष 2016–17, 2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का छाया प्रति ।
13	म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल अधिनियम 1982 में अंशदान अदायगी प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14 की छाया प्रति।
14	निविदा जारी होने की तिथि से पूर्व तिथि की 25 लाख की बैंक सालवेन्सी प्रमाण पत्र ।
16	न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के ई.पी.एफ कटोत्रा का प्रमाण पत्र (विगत छः माह की छाया प्रति।)
17	न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटोत्रा का प्रमाण पत्र (विगत छः माह की छाया प्रति।)
18	न्यूनतम 150 सुरक्षा कर्मियों के सर्विस टैक्स राशि जमा का प्रमाण पत्र (विगत छः माह की छाया प्रति।)
19	न्यूनतम 150 श्रमिकों से कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की (छाया प्रति)
20	सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो का अनुभव होना चाहिए। पिछले पांच वित्त वर्षो (2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2011–12) का सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। **(प्रपत्र–4 अनुसार)**
21	विगत 5 वित्त वर्षो में (2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2011–12) में निविदाकर्ता फर्म का टर्न ओव्हर जिसमें केवल सुरक्षा कार्य

	का टर्न ओव्हर कम से कम रू. 2–00 करोड होने संबंधी जानकारी संबंधी प्रमाण के साथ चार्टेड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न **(प्रपत्र– अनुसार)** में तथा **अंकेक्षित लेखे जो चार्टेड एकाउन्टेन्स से सत्यापित हो उन्हें संलग्न** करना होगा। **स्पष्टीकरण:–** कुल टर्न ओव्हर के साथ सिर्फ सुरक्षा कार्य का टर्न ओवर की प्रमाणिक जानकारी भी संलग्न करें। सफाई कर्मियों एवं अन्य कार्यों से संबंधित राशि जोड़ने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
22	विगत 5 वर्षों में किसी एक वर्ष में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ आदि में कम से कम 150 सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा कार्य कराने का अनुभव एवं कार्यादेश की प्रमाणिक प्रतियां एवं जानकारियां संलग्न करना अनिवार्य हैं।
23	सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। इस बाबत का शपथ पत्र संलग्न करें।
24	निविदाकर्ता फर्म **प्रपत्र–6** अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
25	पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
26	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रू0 100–00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय।

भाग – 3
अन्य कार्य विवरण एवं सुरक्षा ऐजेन्सी के दायित्व

3.1 सुरक्षा ऐजेन्सी को आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराना होगा।

3.2 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार स्थानों पर सुरक्षाकर्मी तैनात करना होगा।

3.3 निविदाकार सुरक्षा ऐजेन्सी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय परिसर में अवांछित व्यक्तियों एवं अनाधिकृत पशुओं का प्रवेश न होने पाये एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

3.4 सुरक्षा ऐजेन्सी का यह दायित्व होगा कि विश्वविद्यालय परिसर का दुरूपयोग न हो अनाधिकृत पार्किंग न की जावे तथा बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार का ठेला या दुकान या अन्य व्यापार न प्रारंभ किये जावे। अनाधिकृत व्यक्ति आदि को भी रोकना होगा।

3.5 सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी 8–8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी एवं किसी सुरक्षाकर्मी की एक माह में 30 से अधिक ड्यूटी नहीं होगी।

3.6 सुरक्षाकर्मियों की निवास/वर्दी की व्यवस्था सुरक्षा ऐजेन्सी को स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से कोई निवास/वर्दी की व्यवस्था नहीं की जावेगी।

3.7 सुरक्षा ऐजेन्सी किसी सब ऐजेन्सी से कार्य नहीं करायगी।

3.8 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक हैं। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.9 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

3.10 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.11 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

3.12 सुरक्षा ऐजेन्सी को भुगतान प्रतिमाह उसके देयक के आधार पर कार्य का सत्यापन करने के उपरान्त किया जायेगा।

3.13 करों की कटौत्री विश्वविद्यालय द्वारा भुगतानके पूर्व एट सोर्सेस किया जायेगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो टेक्स विश्वविद्यालय द्वारा एट सोर्सेस नहीं काटे गये है उनके दायित्व से निविदाकार मुक्त माना जावेगा।

3.14 समस्त प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।

3.15 सुरक्षाकर्मी कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी।

3.16 सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन बायोमिट्रिक पद्यति से भी किया जायेगा। इसके सन्तोषजनक पाये जाने पर मासिक भुगतान से उपस्थिति के अनुपात में कटोत्रा किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबन्ध की अवधि में नुकसान होने पर ऐसे नुकसान के लिए भरपाई ऐजेन्सी द्वारा जमा धरोहर / सुरक्षा निधि को राज–सात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटौत्री की जावेगी। बायोमिट्रिक मशीन एवं उसका रखरखाव सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर करेगी।

3.17 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

3.18 निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न कर्मियों की योग्यता एवं सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता का समय–समय पर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सुरक्षा कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर धरोहर राशि से शास्ति काटकर निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

3.19 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा संबंधित सुरक्षाकर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभ्रद व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ऐजेन्सी पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकेगी।

स.क्र.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
01	सुरक्षाकर्मी यूनिफार्म में न होने पर	रू. 200–00
02	सुरक्षाकर्मी के पास सीटी, डण्डा, टार्च न होने पर	रू. 200–00
03	सुरक्षाकर्मी अनुपस्थित होने पर	रू. 500–00
04	सुरक्षाकर्मी के पास आई.कार्ड न होने पर	रू. 200–00
05	सुपरवाईजर के पास वॉकी–टाकी / मोबाईल फोन न होने पर	रू. 200–00
06	अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर	रू. 1000–00 से रू. 10,000–00 तक
07	विश्वविद्यालय परिसर की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	रू. 1000–00 से लेकर नुकसान हुई सम्पत्ति की वास्तविक राशि तक
08	संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों का न मानने पर	रू. 10,000–00 या निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी।
09	परिसर में चोरी होने पर	क्षति की वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति

3.20 निविदा मान्य होने की स्थिति में निविदाकर्ता को दस कार्य दिवसों के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अनुबंध करना होगा। यह अनुबन्ध, कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा। सुरक्षा ऐजेन्सी द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कार्यावधि के दौरान सन्तोषजनक पाये जाने पर कार्य अवधि आपसी सहमति से प्रतिवर्ष के मूल्यांकन के हिसाब से एक–एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा इसे अधिकतम 5 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकेगा।

3.21 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जावेगा।

3.22 विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी अमानत राशि एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारियों के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।

3.23 निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

3.24 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3.25 यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपने निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

3.26 ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी की आयु 60 वर्ष (कार्यावधि में) से अधिक नही होना चाहिए एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर संलग्न करना अनिवार्य हैं। तत्पश्चात सुरक्षाकर्मियों का प्रत्येक छः माह में ऐजेन्सी के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना होगा।

3.27 निविदाएं बिना किसी शर्त के दिये जायेगें ।

3.28 निविदा मान्य होने पर सुरक्षा कर्मी की जानकारी जैसे – पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री या विशेष ट्रेनिंग संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.29 निविदाकारों द्वारा दी गई सर्विस चार्ज की समान दर या न्यूनतम दर का परीक्षण समिति द्वारा करने के उपरांत समिति स्वविवेक से निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में किसी का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3.30 सुरक्षाकर्मियों द्वारा पहने जाने वाली यूनिफार्म विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित होगी एवं इसका प्रबंध उन्हे स्वयं के व्यय पर करना होगा।

3.31 सुरक्षाकर्मियों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुरक्षा ऐजेन्सी का दायित्व होगा। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी नही होगी।

3.32 सुरक्षाकर्मियों के इन्सुरेन्स की जिम्मेदारी सुरक्षा ऐजेन्सी की होगी। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सुरक्षाकर्मियों के साथ कोई हुई दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा।

3.33 सुरक्षा ऐजेन्सी को विश्वविद्यालय परिसर में आने जाने वाले वाहनों, व्यक्तियों, कर्मचारियों, वस्तुओं एवं सम्पत्ति के संबंध में सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में संधारित करनी होगी। जो प्रतिमाह कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौंपी जानी चाहिए।

3.34 सभी सुरक्षाकर्मियों का बॉयोडाटा नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ सुरक्षा ऐजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को सौंपेगी।

3.35 कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के मांगे जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी अपने रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगी।

3.36 सुरक्षा ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षाकर्मियों का प्रोविडेन्ट फण्ड ESIC Contribution एवं अन्य सरचार्ज नियमानुसार जमा करेगे एवं इनकी सत्यापित प्रति आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करेगे। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नही की जावेगी।

3.37 सुरक्षा एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर सुरक्षा ऐजेन्सी के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।

3.38 फर्म को न्यूनतम 10 प्रतिशत एक्स आर्मी पर्सन या एक्स पोलिसमेन या एक्स–होमगार्ड उपलब्ध कराना होगा। यदि फर्म के द्वारा यह सुविधा नहीं दी जाती तो उसके देयक से उक्त राशि काटी जावेगी।

प्रपत्र–1

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाईजर, भूतपूर्व सैनिक आदि की जानकारी

निविदाकर्ता फर्म का नाम:——————————————————————

पता:——————————————————————————

सं.क्र.	सुरक्षाकर्मी का पदनाम	संख्या	कुल वेतन
01	सुरक्षाकर्मी		
02	सुरक्षा सुपरवाईजर		
03	भूतपूर्व सैनिक		
04	अन्य		

फर्म की अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

प्रपत्र–2

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र

सं.क्र.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	कार्यालयीन पता	
03	पसारा एक्ट के तहत फर्म का पंजीयन क्रमांक वैधता तिथि सहित	
04	दूरभाष नम्बर	
05	मोबाईल नम्बर	
06	ई–मेल आई.डी.	

घोषणा पत्र

मेरे /हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम / शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तों के अधीन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

प्रपत्र–3

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 100–00 के गैर न्यायिक मुद्रांक / नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं————————————पुत्र/पुत्री————————————उम्र————
पता————————————————————————————————
————————————————————————————————

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि:–

(1) मैं निविदाकर्ता संस्था————————————(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का ————————————(एकल स्वामी / साझेदार / संचालक / मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूं तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता————————————है।

(2) मैने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्ते मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य हैं।

(3) निविदा में वर्णित सभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए मेरे / मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।

(4) मेरे / मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियॉ पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कियाजाना मान्य होगा तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा जप्त किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।

स्थान :————————————
दिनांक:————————————

शपथगृहीता

नाम:————————————
पता:————————————

1. गवाह का नाम एवं पता:————————————

2. गवाह का नाम एवं पता:————————————

प्रपत्र–4

सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में पिछले पांच वित्त वर्षों (2015–16, 2014–15, 2013–14, 2012–13, 2011–12) में अनुभव की जानकारी :–

निविदाकर्ता फर्म का नाम:————————————————

पता:————————————————

————————————————

स.क्र.	वर्ष	संस्था का नाम जहां सुरक्षा व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षाकर्मियों की संख्या	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
01	2011–12						
02	2012–13						
03	2013–14						
04	2014–15						
05	2015–16						

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र–5

अंकेक्षित लेखों का सारांश
(रू. 100–00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स---
पता---
के विगत पांच वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य अर्थात् (सुरक्षा व्यवस्था के कार्य का) का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:–

क्रमांक	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंको में)
01	2015–16		
02	2014–15		
03	2013–14		
04	2012–13		
05	2011–12		

टीपः– शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं। जिसे प्रशासन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करता हूं।

स्थानः-------------------------
दिनांकः-------------------------

चार्टेड लेखाकार का नामः-------------------------
फर्म का पदमुद्राः-------------------------
शपथग्रहिता

प्रपत्र–6

घोषणा पत्र

(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं————————————आत्मज————————————सुरक्षा कार्य के लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में निविदाकार हूं। मैं यह घोषित करता हूं कि हमारी संस्था द्वारा यदि बरतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून / नियम / विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थानः————————

दिनांकः————————

नामः————————————

पताः————————————

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदाकर्ता द्वारा इस प्रपत्र में दी जाने वाली वित्तीय दर कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली मासिक दरों के आधार पर देनी होगी। चूंकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मान्य दरों को ही आधार माना जावेगा।

इस वित्तीय प्रपत्र में निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुपरवाईजर (कुशल श्रेणी) को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि तथा वीकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि के योग को मिलाकर आनेवाली कुल राशि के आधार को मानते हुए प्रतिशत के हिसाब से अंकित करना होगा। यानि सर्विस चार्ज प्रतिशत में अंकित करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी। सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाईजर का सर्विस चार्ज की दर एक ही होना चाहिए।

क्र	विवरण	सुरक्षा संस्था द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज की दर अंकों में एवं शब्दों में (प्रतिशत में)
1	निविदाकर्ता संस्थान का नाम	
2	सभी सुरक्षाकर्मियों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर सभी सुपरवाईजरों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सर्विस चार्ज की दर	

टीप–
(1) कर की दर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तत्समय लागू दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
(2) कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सुरक्षा गार्ड (अकुशल श्रेणी) एवं सुरक्षा सुपरवाईज (कुशल श्रेणी) की निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जावेगा।

(3) निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज का प्रतिशत सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब भुगतान की जाने वाली राशि तथा वीकली रेस्ट के आधार पर भुगतान की जाने वाली राशि के योग को मिलाकर आनेवाली कुल राशि के आधार पर उपरोक्त तालिका में अंकित करना होगा।

(4) निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली वित्तीय दर कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी आदेश में उल्लेखित दरों से कम नहीं होना चाहिए एवं निविदा जारी होने की तिथि पर लागू दरों से कम नहीं होना चाहिए। चूंकि उपरोक्त दरें समय–समय पर पुनरीक्षित की जाती है अतः सुरक्षा अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होगी इस हेतु अनुबंधकर्ता द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय तदनुसार भुगतान करने बाध्य होगा।

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म0 प्र0)

क्रमांक/517/रा0वित्त0–2/2016 भोपाल,दिनांक 26/10/2016

// आ दे श //

मैं निशांत वरवड़े, कलेक्टर जिला भोपाल, म0प्र0 वित्तीय नियमावली भाग–2 के परिशिष्ट–6 के नियम 43 के प्रावधानों एवं म0प्र0 शासन श्रम विभाग इन्दौर (म0प्र0) की अधिसूचना क्रमांक–1/11/अन्वे0/पांच/2015/38690–989 इंदौर दिनांक 01/10/2016 के अनुसार इस आदेश के द्वारा भोपाल जिले के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु मजदूरी दरें दिनांक **01/10/2016 से 31/03/2017** तक के लिये निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ:–

'अनुसूची' "क"

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागो मे कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिको एवं कर्मचारियो के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़ो में)।

(30 दिवस के मान से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	216.66	450.00	15.00	6950.00	231.66
अर्धकुशल	7057.00	235.23	750.00	25.00	7807.00	260.23
कुशल	8435.00	281.16	750.00	25.00	9185.00	306.16
उच्च कुशल	9735.00	324.50	750.00	25.00	10485.00	349.50

विशेष टीप:–

1. उपर्युक्त सूची–क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरे 30 दिवस से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी ।
2. अकुशल, अर्धकुशल, कुशल श्रमिकों (मजदूरों) का वर्गीकरण पूर्वानुसार ही रहेगा।

कलेक्टर
जिला भोपाल
26/10/16

//2//

पृ0क्रमांक /518/ वा0वि02 / 2016 भोपाल, दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव म0प्र0शासन भोपाल।
2. सचिव म0प्र0 शासन सा.प्र.वि.भोपाल ।
3. सचिव माननीय मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन भोपाल
4. सचिव म0प्र0 शासन गृह विभाग भोपाल ।
5. सचिव म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग ।
6. सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल।
7. प्रमुख राजस्व आयुक्त, कार्यालय म0प्र0 भोपाल।
8. सचिव म0प्र0 शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल।
9. सचिव म0प्र0 शासन लो0नि0वि0भोपाल ।
10. सचिव म0प्र0 शासन लो0स्वा0एवं यांत्रिकी विभाग भोपाल ।
11. सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग भोपाल ।
12. सचिव म0प्र0 शासन सिंचाई विभाग भोपाल ।
13. सचिव म0प्र0 शासन वन विभाग भोपाल ।
14. सचिव म0प्र0 शासन कृषि विभाग भोपाल ।
15. सचिव म0प्र0 शासन श्रम विभाग भोपाल ।
16. सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं समाज सेवा विभाग भोपाल ।
17. सचिव म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग ।
18. उपसचिव म0प्र0 विधानसभा सचिवालय भोपाल।
19. महालेखाकार म0प्र0 शासन ग्वालियर ।
20. नेशनल ज्यूडीशियल लॉ अकादमी भदभदा रोड भोपाल सूरज नगर–9425601212
21. राहत आयुक्त म0प्र0 भोपाल ।
22. सचिव मानव अधिकार आयोग म0प्र0 भोपाल ।
23. सचिव महिला आयोग म0प्र0 भोपाल।
24. लोकायुक्त कार्यालय भोपाल ।
25. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल ।
26. आयुक्त महालेखा एवं बन्दोबस्त ग्वालियर ।
27. श्रम आयुक्त म0प्र0 इन्दौर।
28. सचिव स्थानीय शासन विभाग भोपाल ।
29. सचिव नगरीय कल्याण विभाग ।
30. सचिव म0प्र0 शासन आदिम जाति कल्याण विभाग ।
31. उप श्रम आयुक्त म0प्र0 भोपाल ।
32. संचालक म0प्र0 भोपाल ।
33. पंजीयक फार्म्स एवं संस्थायें म0प्र0 पंजीयक सहकारी संस्थाये भोपाल ।
34. प्रमुख अभियंता लो0नि0विभाग जल संसाधन लोक स्वा0 एवं यां0 विभाग।
35. नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री म0प्र0 भोपाल ।
36. नियंत्रक नाप तौल विभाग ।
37. महानिदेशक पुलिस/ महानिदेशक जेल/महानिदेशक होमगार्ड भोपाल ।
38. महाप्रबंधक राज्य सड़क परिवहन विभाग भोपाल।
39. समस्त जिला स्तरीय जिला कार्यालय भोपाल ।
40. समस्त प्रभारी अधिकारी जिला भोपाल ।
41. अनुविभागीय अधिकारी जिला भोपाल ।
42. जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र भोपाल।
43. तहसीलदार समस्त जिला भोपाल ।
44. विकास खंड अधिकारी फंदा/ भोपाल ।

कृपया आप अधिनस्थ अधिकारियों को उपरोक्त नवीन आदेश की प्रतिलिपि अपने कार्यालय से भेजने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर)

कलेक्टर

जिला भोपाल 28/10/16